

संलग्नक-19, (2)

संलग्नक-19, (2)

(2)

सेवा विधि

(SERVICE LAWS)

[नियुक्ति से पेंशन तक]

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, केन्द्रीय एवं अखिल भारतीय सेवाओं
तथा निगमों के लोक सेवकों के लिए विशिष्टतः प्रयोज्य

लेखक :

वी० के० सिंह

उच्चतर न्यायिक सेवा

प्रस्तावना :

न्यायमूर्ति के० एन० गोयल

पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग

2011

मॉडर्न पब्लिशर्स (इण्डिया), लखनऊ

11। भवपि वार्षिक प्रविष्टि दण्ड स्वरूप न होकर, संबन्धित कार्मिक के बारे में उसके ऊपर के अधिकारियों द्वारा किया गया वास्तविक मूल्यांकन होता है, फिर भी संबन्धित कार्मिक की चरित्र पंजिका में एक ही घटना या त्रुटि के लिये दो अलग-अलग प्रतिकूल प्रविष्टियों को बनाये रखना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। दोनों प्रतिकूल प्रविष्टियों की पृष्ठभूमि अलग-अलग है फिर भी चूंकि घटना या त्रुटि एक ही रही है इसलिये उस घटना के लिये दी गयी प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टि तथा जांचोपरान्त भर्त्सनात्मक/प्रतिकूल प्रविष्टि को एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में एक ही माना जाना चाहिए।

ऐसे प्रकरणों पर जिनमें जांचोपरान्त सेंसर या निन्दात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, यह प्रविष्टि संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में उसी वर्ष की प्रविष्टि में रखी जाए जिस वर्ष तदनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है। यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाएगा कि प्रकरण संबन्धित के सेवा काल के किस पद व वर्ष से सम्बन्धित रहा है और पाई गयी त्रुटि किस प्रकृति की रही है, जिससे चरित्र-पंजिका का मूल्यांकन करते समय दी गयी प्रविष्टि के स्वाभाविक असर को दृष्टिगत रखा जा सके।²

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के बारे में जाँच की जा रही हो, तो ऐसी दशा में प्रतिवेदक प्राधिकारी को सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने अथवा सत्यनिष्ठा अप्रमाणित करने के बजाय यह इंगित कर देना चाहिए कि प्रश्नगत मामले की जाँच की जा रही है। जाँच पूरी हो जाने पर जाँच का परिणाम देखने के उपरान्त सत्यनिष्ठा को प्रमाणित अथवा अप्रमाणित किया जाना चाहिए।³

उच्चतम न्यायालय⁴ ने कहा है कि किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करने के लिए संदेह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो एक युक्तिमान मनुष्य उपलब्ध सामग्री पर उस संदेह का विचार करें। सिर्फ सम्भावना मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसा हुआ होगा, उस सम्भावना के संदर्भ में संदेह करने के लिए युक्तिमान मनुष्य के लिए अधिसम्भाव्यता की प्रबलता होनी अनिवार्य है। सिर्फ तभी किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करने का औचित्य होगा।

सेवानिवृत्त कर्मियों की चरित्र-पंजिका में उनकी सेवानिवृत्त की तिथि से एक माह के अन्दर प्रविष्टि अंकित कर दी जाएगी। तदोपरान्त उनकी चरित्र-पंजी में किसी भी स्तर से कोई वार्षिक प्रविष्टि अंकित नहीं की जाएगी अर्थात् सेवा-निवृत्त की तिथि के एक माह के भीतर ही सक्षम स्तर से ऐसी प्रविष्टियाँ अंकित की जा सकेंगी।⁵

6. विशेष प्रविष्टि.—विशेष प्रविष्टि, किसी घटना या कार्य विशेष के संबंध में दी जाती है। विशेष प्रविष्टि अंकित करने के बारे में ठीक वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो सामान्य वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु अपनायी जाती है, किन्तु यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी विशेष प्रविष्टि किसी घटना या कार्य विशेष के संबंध में ही हो तथा इसमें सामान्य मूल्यांकन न किया गया हो। यदि ऐसी विशेष प्रविष्टि प्रतिकूल हो तो उसे संसूचित करने तथा उसके विरुद्ध प्राप्त

1. उ० प्र० शासनादेश सं० 2182/ कार्मिक-2-1983, दिनांक 6 फरवरी, 1984.
2. उ० प्र० शासनादेश सं० 36/1/77- कार्मिक-2, दिनांक 6 अप्रैल, 1984.
3. उ० प्र० शासनादेश सं० 36/1/77- कार्मिक-2, दिनांक 15 मार्च, 1984.
4. एम० एस० बिन्दा बनाम भारत संघ, (1998) 7 एस०सी०सी० 310.
5. उ० प्र० शासनादेश सं० 36/1/76- कार्मिक-2, दिनांक 31 जनवरी, 1992.